भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं. *224

जिसका उत्तर 22.12.2022 को दिया जाना है

राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना

*224. श्रीमती रमा देवी:

श्रीमती नवनित रवि राणा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्य राजमार्गों के राष्ट्रीय राजमार्गों में बदले जाने / उन्नयन के लिए अपनाए गए मानदंड क्या हैं;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के तहत बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और हरियाणा राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नयन हेतु चिह्नित राज्य राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त राज्यों में अब तक एनएचडीपी के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों में उन्नत किए गए राज्य राजमार्गों की जिला-वार संख्या कितनी है; और

(घ) उक्त राज्यों में ऐसी लंबित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और परियोजना-वार इन लंबित परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ): एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

'राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना' के संबंध में श्रीमती रमा देवी, श्रीमती नवनित रवि राणा द्वारा पूछे गए दिनांक 22.12.2022 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. *224 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

....

(क) सुस्थापित सिद्धांतों के आधार पर राज्य राजमार्गों (एसएच) सहित राज्य सड़कों को समय-समय पर नए राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के रूप में घोषित किया जाता है। नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा के लिए राज्य की सड़कों के मानदंड में निम्नलिखित कुछ शामिल हो सकते हैं:-

i. देश के कोने-कोने से गुजरने वाली सड़कें।
ii. निकटवर्ती देशों, राष्ट्रीय राजधानियों को राज्यों की राजधानियों / पारस्परिक रूप से राज्य की राजधानियों, प्रमुख बंदरगाहों, गैर-प्रमुख बंदरगाहों, बड़े औद्योगिक केंद्रों या पर्यटन केंद्रों से जोड़ना।
iii. पहाड़ी और अलग-थलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रणनीतिक आवश्यकता वाली सड़कें।
iv. मुख्य सड़कें,जिनसे यात्रा दूरी में काफी कमी आती हैं और पर्याप्त आर्थिक विकास हासिल होता है।
v. सड़कें जो पिछड़े क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र के बड़े इलाकों तक पहुंच को सुगम बनाती हैं।
vi. 100 किमी के राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड की उपलब्धि में योगदान देने वाली सड़कें।
vii. प्रधान मंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल।

(ख) से (घ) मंत्रालय को एसएच सहित राज्य सड़कों की नए एनएच के रूप में घोषणा/उन्नयन के लिए बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और हरियाणा राज्य की सरकारों सहित विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं, जो भारतमाला परियोजना (बीएमपी) (जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के शेष कार्यों को सम्मिलित किया गया है) सहित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत विकसित किए गए हैं। मंत्रालय संपर्कता की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर एसएच सहित कुछ राज्य सड़कों को एनएच के रूप में घोषित करने पर विचार करता है।

अप्रैल, 2014 से सामान्य रूप से बीएमपी में शामिल और विशेष रूप से बीएमपी के तहत बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और हरियाणा राज्यों में एनएच के रूप में अधिसूचित एसएच सहित राज्य सड़कों का विवरण निम्नानुसार है:-

राज्य	**अप्रैल, 2014 से बीएमपी सहित एनएच के रूप में अधिसूचित एसएच सहित राज्य सड़कों की लंबाई (किमी)**	**बीएमपी के तहत एनएच के रूप में अधिसूचित एसएच सहित राज्य सड़कों की लंबाई (किमी)**
बिहार	1,393	723
महाराष्ट्र	12,124	1363
पश्चिम बंगाल	655	597
हरियाणा	1,349	711

*****